<u>राजस्थान विधान सभा</u>

<u>चतुर्थ सत्र</u>

<u>कार्य-सूची</u>

<u>सोमवार, दिनांक 29 मार्च, 2010</u>

<u>बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे</u>

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचना

(आबकारी विभाग)

श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.4(23)एफडी/एक्साईज/08-पीटी-1 दिनांक 2 मार्च, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2003-2004 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 219वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का सत्ताईसवां प्रतिवेदन ;

2. जनलेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 187वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2003-2004 एवं 2004-2005 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ;

3. जनलेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 168वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (राजस्व प्राप्तियाँ) के प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित अनुच्छेदों से था), की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का क्रियान्विति विषयक उनतीसवां प्रतिवेदन ;

जारी..2..

4. जनलेखा समिति, 2003-2004 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 216वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 1998-1999 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेदों से है), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का तीसवां प्रतिवेदन ;

5. वर्ष 2004-2005 भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित अंकेक्षण अनुच्छेदों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का इक्तीसवां प्रतिवेदन ;

6. जनलेखा समिति, 2006-2007 (बारहवीं विधान सभा) के 191वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों (जिसका संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट अंकेक्षण अनुच्छेदों से था), पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का बत्तीसवां प्रतिवेदन ;

7. जनलेखा समिति, 2007-2008 के 242वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का क्रियान्विति विषयक तैंतीसवां प्रतिवेदन ;

8. जनलेखा समिति, 2007-2008 के 238वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2009-2010 का चौंतीसवां प्रतिवेदन ;

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कारागार विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 का पैरा संख्या-3.2 वर्ष 2006-2007 का पैरा संख्या- 1.7.1 तथा वर्ष 2007-2008 का पैरा संख्या-1.6.1 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का पैंतीसवां प्रतिवेदन ;

10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 का पैरा संख्या 4.1.6, 4.2.2 वर्ष 2006-2007 का पैरा संख्या- 1.7.1, 4.3.5, 4.5.12 तथा वर्ष 2007-2008 का पैरा संख्या-1.6.1 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का छत्तीसवां प्रतिवेदन ;

जारी..3..

11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2004-2005 के अनुच्छेद संख्या - 4.2.1, वर्ष 2006-2007 के अनुच्छेद संख्या- 4.3.1, 4.4.3, 4.5.6, 4.5.12 तथा वर्ष 2007-2008 के अनुच्छेद संख्या-4.4.8 में समाविष्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का सैंतीसवां प्रतिवेदन ;

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 का पैरा-4.4.1, 4.5.5, 4.5.6 तथा वर्ष 2007-2008 का अनुच्छेद संख्या-4.1.1 व 4.4.8 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2009-2010 का अड़तीसवां प्रतिवेदन ;

4. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-2)	"वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..4...

(II) राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-3)

"वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिये राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने और कतिपय अन्य उपबन्ध करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

एच.आर.कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 26 मार्च, 2010